न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 18/2020

श्री रामदेव पुत्र श्री हेमा जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील पीसागंन जिला अजमेर हाल निवासी कटपुतली रोड कच्ची बस्ती भवानीसिंह रोड सेक्रेटेरिएट जयपुर

....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।
2. छोगा पुत्र श्री नानू
3. पूसाराम पुत्र श्री हेमा

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम गोला तहसील पीसागंन जिला अजमेर

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री पुष्पेन्द्र सोनी श्री सर्वेश्वर प्रसाद सिंह राठौड — अभिभाषक प्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 06.10.2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम गोला तहसील पीसागंन के खाता संख्या नया 175 पुराना 155 के खसरा सख्या 3034, 3045/4716, 3131, 3131/4656, 3153, 3161, 3174 की कृषि भूमि जरिये विरासत से प्राप्त होकर प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की आराजी रही है। प्रार्थी को बचपन में रामदेव और रामलाल एवं रामा नामों से जाना जाता था । राजस्व ऐजेन्सी द्वारा प्रार्थी को बोलते नाम रामलाल से ही विरासत प्रार्थी के नाम खोल दी गयी जबकि प्रार्थी का राशन कार्ड , आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड आदि में रामदेव पुत्र हेमा नाम है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने इकबालिया बयान दिये कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया , मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **तहसीलदार पीसागंन को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम गोला तहसील पीसागंन के खाता संख्या नया 175 पुराना 155 के खसरा सख्या 3034, 3045/4716, 3131, 3131/4656, 3153, 3161, 3174 के राजस्व रिकार्ड में रामलाल पुत्र हेमा के स्थान पर रामलाल उर्फ रामदेव पुत्र हेमा का अकंन किया जावे शेष इन्द्राज यथावत।**

निर्णय आज दिनांक 06.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.12 17:02:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन